निजी बिजली कम्पनी को वीसीआर भरने का अधिकार

कोटा, (निसं)। स्थाई लोक अदालत को बिजली चोरी के मामले में केवल समझौते कराने ही अधिकार है। ऐसे प्रकरणों में गुणावगुण पर निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। यह फैसला कोटा की स्थाई लोक अदालत ने एक बिजली चोरी के मामले में देते हुए प्रार्थी की अपील खारिज कर दी। इसके अलावा अदालत ने स्वीकार किया कि निजी बिजली कम्पनी को बिजली चोरी के मामलों में वीसीआर भरने का अधिकार है।

कोटा के एक नागरिक ने स्थाई लोक अदालत में अपील की कि निजी बिजली कम्पनी को वीसीआर भरने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी का कहना था कि उसके मकान पर तत्काल प्रभाव से मीटर लगाया जाए और निजी कम्पनी को पाबन्द किया जाए कि उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाए। इस मामले में जयपुर डिस्कॉम का कहना था कि कोटा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सम्बधित कार्य में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। केईडीएल और जयपुर डिस्कॉम के बीच हुए अनुबंध के तहत कम्पनी को वीसीआर भरने का अधिकार मिला हुआ है। अदालत ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने एक निर्णय में कहा कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों में विद्युत चोरी के प्रकरण में स्थाई लोक अदालत को मात्र समझौते कराने का अधिकार है, इसके अलावा अन्य कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अदालत ऐसे प्रकरणों में गुणावागुण पर निर्णय नहीं कर सकती। अदालत ने उत्तर प्रदेश में दिए एक निर्णय का भी हवाला दिया। स्थाई लोक अदालत ने यह भी कहा कि निजी कम्पनी को वीसीआर भरने व थानाधिकारी विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने की शक्तियां और अधिकार है।

प्लास्टिक मुक्त कोटा को बनाएंगे जनआन्दोलन

- नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज सोनी एवं सचिव नीरज अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ संभाला पदभार

कोटा, (निसं)। रोटरी क्लब कोटा की ओर से सत्र 2025-26 में वर्ष पर्यंत रक्त जागृति की मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही प्लास्टिक मुक्त कोटा को जनआन्दोलन बनाने के लिए कार्यक्रम किए जाएंगे। रोटरी क्लब कोटा की सत्र 2025-26 की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने मंगलवार को कार्यभार संभाला। इस दौरान सदस्यों ने यह संकल्प व्यक्त करते हुए वर्ष भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा कि रोटरी क्लब कोटा का 66 वर्ष का सेवा का एक स्वर्णिम इतिहास है। क्लब सामाजिक सरोकार के कार्यो में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है। उन्होंने बताया क्लब द्वारा नियमित चलायमान सेवा कार्य जैसे जेके लोन हॉस्पिटल में नीकू-पीकू वार्ड की देखभाल, न्यू मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी सेंटर, देवनारायण योजना में देवनारायण रोटरी पब्लिक स्कूल समेत विभिन्न प्रकल्पों को निर्बाद्ध संचालित किया जाएगा। सचिव नीरज अग्रवाल ने बताया कि बहुत जल्द मानव सेवा अस्पताल, गोबरिया बावड़ी पर क्लब द्वारा लगाई गई 6 डाइलिसिस मशीनें कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। जहाँ निशुल्क डाइलिसिस सेवा जरूरतमंदों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष पर्यन्त क्लब द्वारा प्लास्टिक की थैली उपयोग नहीं करने एवं घर से कपड़े का थैला ले जाने की अलख जगाई जाएगी।

रक्त जागृति अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत रक्तदान शिविर के साथ साथ आमजन में रक्त दान के महत्व को बताने पर भी जोर दिया जाएगा। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व विधिवत् पूजन किया गया। वहीं आगामी कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष उमेश गोयल, उपाध्यक्ष अनुपम शर्मा, दीपक मेहता, निवर्तमान अध्यक्ष मुकेश व्यास, वर्ष 2025-26 की रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रज्ञा मेहता, रोटरी कम्युनिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र सोनी, प्रेसिडेंट इलेक्ट लक्ष्मण सिंह खींची, दीपक भार्गव एवं संजय गोयल उपस्थित रहे। प्रवक्ता संजय गोयल ने बताया कि क्लब द्वारा संचालित देवनारायण रोटरी पब्लिक स्कूल जहाँ बच्चों को औपचारिक शुल्क पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। यहां सदस्यों के साथ साथ आमजन से भी ''ईच वन टीच वन'' के स्लोगन के माध्यम से मात्र 7,000 में एक बच्चे की वर्षभर की शिक्षा को प्रायोजित करने का निवेदन किया जाएगा। पौधरोपण का कार्यक्रम भी विराट स्तर पर किया जाएगा। जिसके अंतर्गत पौधरोपण ही नहीं बल्कि जब तक वह स्वपोषी ना हो जाए, उसको सहेजने का कार्य भी किया जाएगा।

डमी कैंडिडेट से रेलवे गार्ड बना राजेंद्र मीणा बर्खास्त

- कई सालों तक की नौकरी
- सीबीआई के मुकदमा दर्ज होने के बाद रेलवे ने डमी कैंडिडेट के जरिए गार्ड बने राजेंद्र मीणा को बर्खास्त कर दिया

कोटा, (निसं)। डमी कैंडिडेट के जरिए राजेंद्र मीणा न केवल रेलवे गार्ड बना बल्कि कई साल नौकरी भी की। फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद रेलवे ने गुड्स ट्रेन गार्ड आरोपी राजेंद्र मीणा को 30 जून को सेवा से बर्खास्त कर दिया। कोटा के सीनियर डीसीएम सौरभ जैन ने बताया कि राजेंद्र मीणा पर एक और मुकदमा डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देने व रेलवे की नौकरी प्राप्त करने का दर्ज हुआ।

इस पर उसे पहले निलंबित किया। जांच में दोषी पाए जाने पर अब सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सीबीआई की जयपुर यूनिट ने 12 जून को डमी कैंडिडेट्स के जरिए नौकरी पाने वाले राजेंद्र के खिलाफ मुकदमा किया था। इस मामले में मनीष मीणा भी आरोपी है। वह दौसा के महुआ तहसील के बोरखेड़ा निवासी है। उसी ने राजेंद्र की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में वर्ष 2019 में पदोन्नति की जनरल डिपाटमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट कोटा में दिया था। मनीष को डमी कैंडिडेंट के रूप में बिठाकर चयनित राजेंद्र गुड्स रेलवे गार्ड की नौकरी करने लग गया। राजेंद्र ने वेस्ट सेंट्रल रेलवे में कोटा रेल मंडल में कई साल नौकरी कर ली। राजेंद्र की वर्ष 2013 ग्रुप-डी की नौकरी लगी थी। डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास करने की मामले में टीआरडी डिपार्टमेंट की हेल्पर सपना मीणा और सोगरिया स्टेशन की पॉइंट्स में रही आशा मीणा को भी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दोनों ने डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास की थी।

डॉक्टर्स और सीए को मिला सम्मान

- समाज में अपनी उत्कृष्टता और समर्पण भाव से सेवा करने वालों को सम्मान देना अच्छी पहल - विधायक संदीप शर्मा

कोटा, (निसं)। रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह 2025 का शानदार आयोजन बसंत विहार स्थित क्लब के भवन में किया गया। जिसमें चिकित्सा और चार्टर्ड अकाउंटेंट क्षेत्रों के उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है और उत्कृष्टता को प्रोत्साहन मिलता है।

इसलिए ऐसे सकारात्मक आयोजन समय-समय पर होते रहना चाहिऐं। विशिष्ट अतिथि सीएमएचओ डॉ. नरेन्द्र नागर ने भी अपने विचार साझा करते हुए कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में समर्पण और सेवा भावना को बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ की असिस्टेंट गवर्नर डॉ.रोशनी मिश्रा ने करते हुए कहा कि रोटरी क्लब समाज सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और यह आयोजन इसका एक उदाहरण है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ डॉ.एम.एल. अग्रवाल और डॉ.जे.के. बरथुनिया भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजित रक्तदान शिविर में 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो सामाजिक सेवा की भावना को दर्शाता है। रोटरी क्लब कोटा नॉर्थ के अध्यक्ष विनय अग्निहोत्री और सचिव डॉ.आर.बी. गुप्ता ने बताया कि यह आयोजन समाज सेवा और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। परियोजना निदेशकों रोटेरियन रवि मंडलोई ने भी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लब ने भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया। यह समारोह न केवल सम्मान का अवसर रहा, बल्कि कोटा की सामाजिक और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी साबित हुआ।

रेल किराया वृद्धि आम जनता पर सीधा बोझ-मनोज दुबे

कोटा, (निसं)। भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा 1 जुलाई से रेलवे के किराए में बढ़ोत्तरी किए जाने की तीव्र निंदा करते हुए कहा की 'रेल किराया वृद्धि से आम जनता पर सीधा बोझ' पड़ेगा। रेल किराया बढ़ाऐं जाने से गरीब किसान मजदूर-वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, गरीबो के लिए रेल सफर मुश्किल होगा।

मनोज दुबे ने कहा की रेलवे बोर्ड का लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आम लोगों के हित में नहीं हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से परेशान गरीब मजदूर किसान पर इससे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रेल यात्रा करोड़ों लोगों की मजबूरी और जरूरत है। सरकार को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिऐं। बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के अमृतकाल में अब रेलवे सफर भी महंगा हो गया है। रेल किराए में बढ़ोत्तरी का कदम पूरी तरह अन्यायपूर्ण हैं और सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिऐं। मनोज दुबे ने कहा की जब से केंद्र मे भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से महंगाई बेलगाम होती जा रही है।

आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ रहा है, और उसकी मेहनत की कमाई दिन-ब-दिन घटती जा रही है। महंगाई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रेलवे किराए में की गई भारी बढ़ोतरी मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों का एक और स्पष्ट प्रमाण है। यह फैसला सीधे-सीधे जनता के आर्थिक शोषण को दर्शाता है।

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांकः-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/8386 दिनांकः 01.07.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि श्रीमती वन्दना सक्सैना पुत्री स्व.श्री सत्यभानु श्रीवास्तव पत्नी श्री असीत सक्सैना, श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव पुत्री स्व.श्री सत्यभानु श्रीवास्तव पत्नी श्री दीपक श्रीवास्तव एवं श्रीमती रचना गौड पुत्री स्व.श्री सत्यभानु श्रीवास्तव पत्नी श्री भारत रत्न गौड निवासी भूखण्ड संख्या 161, वल्लभबाडी गुमानपुरा, कोटा (राज०) ने नगर निगम, कोटा उत्तर में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 161, वल्लभबाडी गुमानपुरा, कोटा क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का निवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 161, वल्लभबाडी गुमानपुरा, कोटा क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट का आवंटन कार्यालय मण्डी कमेटी, चम्बल योजना, कोटा द्वारा पत्र क्रमांक 187 दिनांक 31.01.1962 से श्री सीतल चन्द पुत्र श्री किशन लाल को किया गया। श्री सीतल चन्द ने उक्त भूखण्ड जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 14.03.1964 से डॉक्टर प्रेमचन्द सूद पुत्र श्री बाबू रलाराम सूद को विक्रय कर दिया। डॉक्टर प्रेमचन्द सूद ने उक्त भूखण्ड जर्ये रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 25.03.1964 से श्री श्रीनाथ पुत्र श्री जगन्नाथ को विक्रय कर दिया। श्री श्रीनाथ ने जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1967 से उक्त भूखण्ड श्री सत्यभानु श्रीवास्तव पुत्र श्री आर्शीवादी लल श्रीवास्तव को विक्रय कर दिया। श्री सत्यभानु श्रीवास्तव का देहावसान दिनांक 21.11.2000 को हो जाने के उपरान्त श्री सत्यभानु श्रीवास्तव के विधिक वारिसान श्रीमती वन्दना सक्सैना, श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव एवं श्रीमती रचना गौड द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा उत्तर में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा उत्तर

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/ विज्ञप्ति दिनांकः-

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रंगतालाब उर्फ कालातालाब में स्थित कृषि भूमि योजना सिद्धी विनायक नगर भूखंड संख्या सी-77 खसरा नं. 329 आवेदक/आवेदिका श्रीमती तबस्सुम जां पत्नी श्री अब्दुल रईस खान निवासी सलाम मंजिल पायगा नाला मोहल्ला वार्ड नं. 2 झालावाड़ द्वारा पट्टे हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार खातेदार नन्द लाल पुत्र श्री मोती लाल द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 24.08.2011 को मुख्तार उद्दीन पुत्र श्री मुमताज उद्दीन को किया गया। क्रेता मुख्तार उद्दीन की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 20.04.2021 को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारिसान पत्नी तस्लीम जहां, पुत्र इमरान खान, शाहरुख खान, सलमान खान, पुत्री रानू बेगम, असमा खान, बुलबुल नाज, जीनत शेख है। उपरोक्त वारिसानों द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 19.03.2023 को शैहनीला पत्नी श्री आसिफ खान को किया गया। क्रेता शैहनीला द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 29.04.2025 को आवेदिका के पक्ष में किया गया है।

अतः श्रीमती तबस्सुम जां पत्नी श्री अब्दुल रईस खान के पक्ष में पट्टा जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ11विक्रय/2025/181 विज्ञप्ति दिनांकः-30.6.2025

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा की योजना श्रीनाथपुरम-ई भूखण्ड संख्या 243 को आवंटन/न्यास पत्र क्रमांक 144 दिनांक 13.09.1999 को श्री धनराज मालव पुत्र श्री मथुरा लाल मालव को आवंटन किया गया था। उक्त भूखण्ड की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्री राजेन्द्र भार्गव पुत्र श्री कामता प्रसाद भार्गव द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा से चाही जा रही है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या 243 योजना श्रीनाथपुरम-ई आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री धनराज मालव पुत्र श्री मथुरा लाल मालव जर्ये मुख्तारआम श्री राजेन्द्र भार्गव पुत्र श्री कामता प्रसाद भार्गव के नाम जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कार्यालय नगर पालिका पिड़ावा जिला-झालावाड़ (राज.)

E-mail id – eopirawa.lsg@rajasthan.gov.in Phone No. – 07434-258566

क्रमांक/न.पा.पि./स्टोर/2025/767 दिनांकः-30/06/2025

-: ई-निविदा सूचना E01/2025-26 :-

नगर पालिका पिडावा में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदको व अन्य विभागों के सक्षम श्रेणी में पंजिकृत फार्मो/संवेदको से ई-निविदा पद्धति से 01 कार्य की दिनांक 07.07.2025 से 21.07.2025 तक ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत, निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र डाउनलोड, अपलोड करने की तिथि व निविदा की शर्ते एवं अन्य जानकारी वेबसाईट http://sppp.rajasthan.nic.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in व कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

NIB CODE :-DLB2526A3054

WORK NO.	UBN CODE
1	DLB2526GLOB09576

राज.संवाद/सी/25/5333 — अध्यक्ष नगर पालिका पिड़ावा — अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिड़ावा

जिले में धारा 163 लागू

कोटा, (निसं)। कोटा शहर में मोहर्रम, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, तेजा दशमी, बारावफात, कृष्ण जन्माष्टमी एवं अनन्त चतुर्दशी पर्वों के दौरान शहर में जुलूस, झांकियां एवं शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी जिसमें अत्यधिक संख्या में जन समूह के एकत्रित होने की संभावना के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने शहर में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू की है। आदेशानुसार निषेधाज्ञा 31 अगस्त तक सम्पूर्ण कोटा जिले में लागू रहेगी। निषेधाज्ञा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता पाया गया।

91 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा सहित एक गिरफ्तार

- नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्यवाही

कोटा, (निसं)। अवैध मादक पदार्थो की तस्करी पर रोक एवं तस्करों की धरपकड़ के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम द्वारा चल रहे प्रयासों के तहत (सी.बी.एन.) टीम ने अवैध डोडा चूरा जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्यवाही उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल के मार्गदर्शन में की गई।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सी.बी.एन), प्रतापगढ़ के अधिकारियों ने लालपुरा पीपलखेड़ी, थड़ा-पिपलिया मंडी रोड़, तहसील और जिला, प्रतापगढ़ के पास से कार्यवाही करते हुए 91.040 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया तथा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति थड़ा-पिपलिया मंडी रोड़ पर अवैध डोडा चूरा की तस्करी कर रहे हैं।

उक्त सूचना पर सीबीएन प्रतापगढ़ डिवीजन 1, 2 और प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम गठित की गई और टीम को मौके के लिये रवाना किया गया। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी और थड़ा-पिपलिया मंडी मार्ग पर लालपुरा पीपलखेड़ी के पास निवारक दल ने सड़क के किनारे दो संदिग्ध व्यक्ति, एक मोटर साईकिल व पांच काले प्लास्टिक के थैलों के साथ खड़े दिखाई दिए।

निवारक दल को देखकर एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह मौके से भाग निकला एवं एक अन्य संदिग्ध व्यक्ति के सामान की तलाशी ली गई तो उसके पास से कुल 91.040 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया तथा एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्यवाही करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/593 विज्ञप्ति दिनांकः-1.7.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम कोटड़ी योजना ''त्रिवेणी आवास'' खसरा नं.107 में स्थित भूखण्ड संख्या ए-40/1 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्रीमती नम्रता गेहीजा पत्नि श्री पीताम्बर गेहीजा निवासी-89, सिन्धी कोलोनी, गुमानपुरा, कोटा, राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या ए-40 का पट्टा क्रमांक 421 दिनांक 30/01/2002 को श्री लखपत गुप्ता पुत्र श्री एम.एल. गुप्ता के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टेधारी द्वारा भूखण्ड संख्या ए-40 के एक भाग (ए-40/1) का बेचान जर्ये अपंजीकृत मुख्तार आम श्रीमती वीना सिंह पत्नि श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28/07/2004 से श्री महेन्द्र प्रताप सिंह गहलोत पुत्र श्री इन्द्र सिंह गहलोत को किया गया है। श्री महेन्द्र प्रताप सिंह गहलोत द्वारा जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 08/11/2004 से श्री लाल चन्द आहूजा पुत्र श्री सन्तोष आहूजा को किया गया है। श्री लाल चन्द आहूजा द्वारा जर्ये अपंजीकृत मुख्तारआम श्री जफरउल्लाह खान पुत्र श्री उमर हयात खान जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 09/01/2024 से आवेदक को कर दिया गया है।

अतः श्रीमती नम्रता गेहीजा पत्नि श्री पीताम्बर गेहीजा के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांकः LU2012/KOT/2025-26/101019 **लोक सूचना** दि.30.06.2025

श्री MAHAVEER PRASAD SHARMA पुत्र श्री KANHAIYALAL SHARMA जाति BRAHAMAN निवासी STREET NO. 6 BARAN ROAD HOUSE NO. 15 SARASWATI COLONY POLICE LINE KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	देवली अरब, लाडपुरा (कोटा)	MAHAVEER PRASAD S/O KANHAIYALAL HISSA PURN JAATI BRAHMAN R/O LILEDA JILA BUNDI	1746/846	1910	0.191
			1748/847	1944	0.1944
2.	तेखड़ा, लाडपुरा (कोटा)	MAHAVEER PRASAD S/O KANHAIYALAL HISSA PURN JAATI BRAHMAN R/O LILEDA JILA BUNDI	58	1200	0.12
				कुल	0.5054

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 30/06/2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)**

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांकः-ननिको/को.उ./राजस्व/2025/85-86 दिनांकः-1.7.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को जर्ये आम सूचना सूचित किया जाता है कि श्री अनवर खान पुत्र श्री सईद खान निवासी 134 श्रीपुरा टिप्पन की चोकी अमित टेंट हाउस के पास कोटा द्वारा नगर निगम कोटा की होटल/रेस्टोरेन्ट/मैस उपविधि 2016 के अनुसार, होटल रिवर फ्रन्ट 663 बापू नगर कुन्हाडी कोटा की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)

क्रमांकः-ननिको/को.उ./राजस्व/2025/83-84 दिनांकः-1.7.25

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुशीला पाण्डेय पत्नी श्री गोपीनाथ पाण्डेय निवासी महावीर कालोनी रंगपुर रोड स्टेशन कोटा द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर की लघु यंत्रालय उपविधि 2010 के अनुसार महावीर कालोनी रंगपुर रोड स्टेशन कोटा में आटा-चक्की लगाने की अनुमति चाही गई है।

इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस की अवधि में राजीव गांधी भवन नगर निगम कोटा उत्तर के ब्लॉक सी के द्वितीय तल के कमरा नं. 307 में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा उपरोक्त उपविधि के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी। सूचित हो।

उपायुक्त नगर निगम कोटा (उत्तर)

कार्यालय नगरपालिका झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः न.पा.झा.पा./भू.रुपा./2025/1207 **लोक सूचना** दिनांकः-27.6.25

खातेदार श्री मनेश कुमार मीणा पुत्र श्री रामप्रसाद मीणा निवासी ग्राम जावरा भीमसागर डेम जिला झालावाड़ (राज.) ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय से मास्टर प्लान में दर्शित निर्धारित सड़क मार्गाधिकार छोड़कर परिधि नियंत्रण पट्टी से शैक्षणिक व हॉस्पीटल हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं. व रकबा
तह. झालरापाटन जिला झालावाड़	ग्राम रलायता	1100/198, 199, 1097/194, 1098/194, 841/195 किता-5 रकबा 2.8299 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकता है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 27.06.25 को जारी की गयी।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका झालरापाटन

(प्रारूप-10) (नियम 6 (7) देखिए)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगरपालिका झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज.)

क्रमांकः न.पा.झा.पा./भू.रुपा./2025/1201 **लोक सूचना** दिनांकः-27.6.25

खातेदार श्री मांगीलाल पुत्र श्री देवीलाल निवासी गाड़ा गांव नसीराबाद तह. बकानी जिला झालावाड़ राज. ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित कृषि भूमि से रिर्सोट व होटल (एकल पट्टा) उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल
तहसील झा. पाटन जिला झालावाड़	रलायता	235, 236 243 किता-3	रकबा 2.1243 हैक्टयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दि